

### विषय सूची

- गंगा के लिए ई-फ्लो अधिसूचना
- जल संसाधन परियोजनाओं में पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर संगोष्ठी
- तलछट प्रबंधन दिशा-निर्देश
- परियोजनाओं का अनुमोदन
- एनएबीएल मान्यता
- विश्व धरोहर सिंचाई संरचना
- आईसीओएलडी का दौरा व सम्मेलन
- चीन में भूस्खलन एवं परिणामस्वरूप बाढ़
- बैठकें / दौरे
- जलाशय भंडारण निगरानी
- देश में बाढ़ के हालात
- केजआ - संक्षिप्त इतिहास



### संदेश

#### एस मसूद हुसैन अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग

अक्टूबर माह के दौरान, के ज आ ने "जल संसाधन परियोजनाओं में पर्यावरणीय मुद्दों" पर एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी का आयोजन किया। इसने पर्यावरण विशेषज्ञों और गैर सरकारी संगठनों सहित सभी हितधारकों को इस विषय पर अपने विचारों को व्यक्त व चर्चा करने के लिए मंच प्रदान किया।

10 अक्टूबर को, केन्द्रीय सरकार ने उन्नाव तक गंगा नदी के लिए न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह (ई-फ्लो) सुनिश्चित करने के लिए एक अधिसूचना की घोषणा की। इसके अनुसार के.ज.आ को जल प्रवाह की निगरानी एवं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को सूचना रिपोर्ट करने की ज़िम्मेदारी दी गयी है।

16-17 अक्टूबर, 2018 के दौरान चीनी क्षेत्र में यारलुंग त्संगपो नदी

(भारत में जिसका नाम सियांग है) में एक बड़ी भूस्खलन की घटना हुई, जिसने भारत में नदी के प्रवाह को अवरुद्ध कर दिया। इस कृत्रिम रुकावट से नीचे के राज्यों अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों में आपातकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई। इस रुकावट के हटने पर 19 अक्टूबर, 2018 को केन्द्रीय जल आयोग के टूरिंग प्रेक्षण स्थल पर अचानक एक घंटे में नदी के जल स्तर में लगभग 12 मीटर की वृद्धि दर्ज की गयी। चीन से हुए द्विपक्षीय सहमति पत्र के आधार पर साझा की गई सूचना के आधार पर के.ज.आ द्वारा इस स्थिति की निगरानी की गई और संबंधित एजेंसियों को समय पर चेतावनी जारी की गई थी। माह के अंत में फिर से घटित भूस्खलन की निगरानी भी के.ज.आ द्वारा की गई जिससे प्रभावित क्षेत्रों में जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की जा सकी।

के.ज.आ ने बड़े बांधों पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग (आई सी ओ एल डी) और अन्य हितधारक संगठनों के साथ 24-25 अक्टूबर, 2018 के दौरान नई दिल्ली में "जल सुरक्षा और सतत विकास के लिए भंडारण बांध" पर बांध इंडिया 2018 सम्मेलन का आयोजन करने के लिए साझेदारी की। एशिया में सबसे बड़े व्यास (11 मीटर) वाले मे से एक 6.3 किमी लंबे एचआरटी की खुदाई के पूरा होने के साथ भूटान में पुनात्सांगचू जल विद्युत परियोजना-2 के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर

भौगोलिक स्थिति के कारण इस कार्य में कई चुनौतियां थीं। के.ज.आ परियोजना की डिजाइन के लिए परामर्श प्रदान कर रहा है। के.ज.आ के विभिन्न अधिकारी भी प्रतिनियुक्ति पर परियोजना निष्पादन एजेंसी में काम कर रहे हैं।

माह के दौरान जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा 3,841.29 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली सिंचाई / बहुउद्देशीय परियोजनाओं को स्वीकार किया गया।

के.ज.आ ने विस्तृत सर्वेक्षण और अन्वेषण के बाद मेघालय की दो लघु सिंचाई योजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को सफलतापूर्वक पूर्ण कर मेघालय सरकार को प्रस्तुत किया।

महीने के दौरान बाढ़ पूर्वानुमान, जलाशय भंडारण निगरानी, परियोजना मूल्यांकन, डिजाइन परामर्श (देश के अंदर और बाहर) इत्यादि सहित व्यापक गतिविधियां जारी रही। आगामी महीनों में अनुमोदन की प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं जैसे कि उझ बहुउद्देशीय परियोजना, पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजनाओं आदि में बड़ी उपलब्धियां प्राप्त होने की उम्मीद है। इस के साथ ही, मैं आगामी त्योहार के मौसम के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं।

एस मसूद हुसैन



आईसीओएलडी के प्रतिनिधि माननीय मंत्री (ज. सं. न. वि. एवं गं. सं.) तथा मंत्रालय और के.ज.आ के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में




भूटान में पुनात्सांगचू जल विद्युत परियोजना -II के लिए एशिया में सबसे बड़े व्यास (11 मी) में से एक 6.3 किमी लंबे एचआरटी की खुदाई पूर्ण



मेघालय में सिंचाई और मछली पालन, पर्यटन के अन्य संबद्ध लाभों के साथ वाली उमरी और उम्सियांग परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पूर्ण हुई

## गंगा में न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह संबंधी अधिसूचना

शीघ्र ही मंत्रीमंडल को भेजा जाएगा.



केंद्र सरकार ने 10 अक्टूबर 2018 को एक अधिसूचना जारी की है जिसके अनुसार सिंचाई, जल विद्युत, घरेलू उपभोग एवं उद्योगों तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए नदी के प्रवाह को विपथित करने हेतु बनी संरचनाओं अथवा परियोजनाओं के अनुप्रवाह पर गंगा नदी में न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह (ई-फ्लोज) को सुनिश्चित करना है . यह अधिसूचना गंगा नदी की ऊपरी घाटी में उसके उद्गम ग्लेशियरों से लेकर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले तक लागू होगी. यह अधिसूचना पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में जारी की गई है.

श्री नितिन गडकरी, माननीय केन्द्रीय मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने एक संवादाता सम्मेलन में कहा कि इस ई-फ्लो की अधिसूचना से गंगा नदी में "अविरलता" अथवा निरन्तर प्रवाह सुनिश्चित होगा . उन्होंने अविरल एवं निर्मल गंगा के संबंध में किए गए सरकार के वायदे को दोहराया और कहा कि 'गंगा एक्ट' मसौदा

### गंगा नदी की ऊपर की घाटी में उद्गम ग्लेशियरों से हरिद्वार तक का विस्तार

क्र०	मौसम	महीना	प्रत्येक पूर्ववर्ती 10-दैनिक अवधि के दौरान मासिक औसत प्रवाह का (%) प्रतिशत
1	सूखा	नवम्बर से मार्च	20
2	लीन	अक्टूबर, अप्रैल और मई	25
3	उच्च प्रवाह	जून से सितम्बर	30*#

\*# उच्च प्रवाह मौसम के मासिक प्रवाह का 30 %

### हरिद्वार, उत्तराखंड से उन्नाव, उत्तर प्रदेश तक गंगा नदी की मुख्य धारा का विस्तार


क्र०	बैराज का स्थान	बैराज के अनुप्रवाह में न्यूनतम प्रवाह (घन मी/से) गैर- मानसून (अक्टूबर से मई)	बैराज के अनुप्रवाह में न्यूनतम प्रवाह (घन मी/से) मानसून (जून से सितंबर)
1	भीमगोड़ा (हरिद्वार)	36	57
2	बिजनौर	24	48
3	नरोरा	24	48
4	कानपुर	24	48

यह न्यूनतम प्रवाह सभी मौजूदा, निर्माणाधीन और भविष्य की परियोजनाओं पर लागू होगा. वे मौजूदा परियोजनाएं जो अभी इस न्यूनतम प्रवाह के मानदंडों को बनाए रखने में अक्षम हैं, उन्हें इस वांछित ई-फ्लो के मानदंडों का अनुपालन आगामी तीन वर्षों में सुनिश्चित करना होगा. यह मानदंड उन छोटी और सूक्ष्म परियोजनाओं पर लागू नहीं होगा जो नदी के प्रवाह को बहुत अधिक प्रभावित नहीं करती.

### केन्द्रीय जल आयोग की भूमिका

अधिसूचना के अनुसार केन्द्रीय जल आयोग इस अधिसूचना के अनुपालन के लिए नामित प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा और तत्संबंधी डाटा संरक्षक की भूमिका भी अदा करेगा. इसके अतिरिक्त वह इसके पर्यवेक्षण, निगरानी, ई-फ्लो के विनियमन व आवश्यक सूचना की रिपोर्ट देने के लिए भी जिम्मेदार होगा. आपातकालीन अवस्था में जल संग्रहण मानदंडों के बारे में आकस्मिक निर्णय लेने के लिए भी प्राधिकृत होगा. केन्द्रीय जल आयोग प्रत्येक तिमाही में प्रवाह प्रबोधन सह अनुपालन रिपोर्ट राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को भेजेगा.

सभी संबंधित प्राधिकरण परियोजना स्थल पर आंकड़ों के स्वचालित संग्रहण और प्रेषण के लिए अपेक्षित सुविधाओं को 6 माह के भीतर संस्थापित करेंगे. डाटा को संग्रहण करने, मापने और प्रवाह संबंधी सुविधाओं के रखरखाव की जिम्मेदारी परियोजना प्राधिकरण की होगी वे सभी तत्संबंधी आंकड़े केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत करेंगे.



## जल संसाधन परियोजनाओं में पर्यावरणीय संबंधी मुद्दों पर संगोष्ठी

जा रही कि केन्द्रीय जल आयोग, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा अपने मुख्यालय नई दिल्ली में 09 अक्टूबर 2018 को 'जल संसाधन परियोजनाओं में पर्यावरणीय संबंधी मुद्दों' पर एक दिवसीय संगोष्ठी आयोजित की गई। यह संगोष्ठी (सेमिनार) ऐसे समय में आयोजित की गई जब कई क्षेत्रों से सतत विकास पर ध्यान देने की बात उठाई जा रही थी।

**श्री यू पी सिंह, सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय** ने संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए कहा कि अब हम विकास की बात नहीं करते हैं बल्कि अब हम सतत विकास की बात करते हैं और उन्हें खुशी है कि केन्द्रीय जल आयोग ने ऐसे समय में बहुत ही आवश्यक इस संगोष्ठी को आयोजित करने की पहल की है। उन्होंने आगे कहा कि विकास पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ना चाहिए लेकिन पारिस्थितिकी प्रबंधन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन पारिस्थितिक चिंताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए और विकास परियोजनाओं के प्रभावों का सही अध्ययन किया जाना चाहिए।

**श्री एस मसूद हुसैन, अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग** ने अपने मुख्य उद्घोषण में कहा कि "पर्यावरणीय मुद्दे सिर्फ जल क्षेत्र में ही नहीं बल्कि प्रत्येक क्षेत्र में चिंतन का विषय हैं। जल सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और खाद्य और जल सुरक्षा प्राप्त करने में जल संसाधन परियोजनाओं की बड़ी भूमिका है। हमें विकास की जरूरतों और पर्यावरण की जरूरतों के बीच उचित संतुलन बनाने की आवश्यकता पर जोर देना चाहिए"। उन्होंने आगे कहा, प्रतिकूल प्रभावों को कम करने की आवश्यकता है, लेकिन जल संसाधन परियोजनाओं के सकारात्मक प्रभावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। दुर्भाग्य से विकास के प्रस्तावकों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं के बीच ज्यादा वैज्ञानिक बहस नहीं हुई है। अतः इस प्रकार, स्वस्थ और सूचित



बाएं से दाएं श्री वाई के शर्मा, सदस्य (आर एम), केन्द्रीय जल आयोग, श्री एस मसूद हुसैन, अध्यक्ष, केजआ, श्री यू पी सिंह, सचिव (ज सं, न वि और गं सं मंत्रालय), श्री एन के माथुर, सदस्य (डी एवं आर), केजआ, श्री एस के हलदार, सदस्य (डब्ल्यू पी एवं पी), केजआ

बहस की आवश्यकता है ताकि विकास और पर्यावरण की जरूरतें एक दूसरे के पूरक हों, और जरूरी नहीं कि वे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करें जैसा की अभी हो रहा है।

विभिन्न हितधारक संगठनों जैसे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केन्द्रीय जल आयोग, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, वापकोस, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, केन्द्रीय भूजल बोर्ड, केन्द्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, तिहरी जल विद्युत विकास निगम, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, गुजरात राज्य सरकार और गैर सरकारी संस्थाओं इत्यादि ने सक्रियता से इस संगोष्ठी में भाग लिया। प्रस्तुतकर्ताओं में से कुछ को नीचे दर्शाया गया है। संगोष्ठी में यह आम राय थी कि पर्यावरण प्रबंधन योजना ऐसी होनी चाहिए कि यह प्रतिकूल प्रभावों को कम करते हुए लाभों को अधिकतम करे और इसका अक्षरशः और भावना के साथ पालन किया जाए।



श्री एम के श्रीनिवास, महानिदेशक, एनडब्ल्यूडीए द्वारा जल संसाधन परियोजनाओं के लिए अनिवार्य मंजूरी के मुद्दे - केन-बेतवा (एक केस स्टडी) पर प्रस्तुति



डॉ एम के सिन्हा, कार्यकारी सदस्य, एनसीए द्वारा जल संसाधन परियोजनाओं के पुनःस्थापन व पुनर्वास में चुनौतियों पर प्रस्तुति



जल संसाधन परियोजनाओं के पर्यावरणीय पहलुओं पर श्री सौम्या दत्ता पर्यावरणविद् द्वारा गैर सरकारी संगठनों के दृष्टिकोण पर प्रस्तुति

## मसौदा "जल विद्युत और जल संसाधन परियोजना में तलछट प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश"

जलाशय में अवसादन (सेडीमेन्टेशन) बहुत लंबे समय तक विपथन (डायवर्जन) संरचनाओं के लिए एक प्रासंगिक मुद्दा रहा है। इसके कारण सक्रिय भंडारण का नुकसान, टरबाइन कोटिंग का क्षरण, हाइड्रोलिक मशीनरी के रखरखाव के कारण बिजली का बंद होना आदि जैसी समस्याएं होती हैं। कुछ मामलों में, प्रचालन के कुछ ही महीनों बाद टरबाइन को आगे के उपयोग के लिए बहुत बुरी तरह से नुकसान हुआ है। इससे बिजली के राजस्व में कमी और मरम्मत लागत के कारण अधिक वित्तीय नुकसान हुआ है।

उपरोक्त के मद्देनजर, "जल विद्युत और जल संसाधन परियोजना में तलछट प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश" का एक मसौदा के.ज.आ में तैयार किया गया है और विशेष रूप से विशेषज्ञों से और सार्वजनिक रूप से टिप्पणियों को आमंत्रित करने के लिए के.ज.आ पोर्टल पर अपलोड किया गया है। इसे निम्न यूआरएल से प्राप्त किया जा सकता है :

[http://cwc.gov.in/main/downloads/guidelines\\_sediment\\_management.pdf](http://cwc.gov.in/main/downloads/guidelines_sediment_management.pdf)

## परियोजनाओं का अनुमोदन

सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण की सलाहकार समिति की 138वीं बैठक के.ज.आ मुख्यालय में 31.10.18 को आयोजित की गई थी. इसकी अध्यक्षता श्री यू. पी.सिंह, सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा की गई.

पंजाब, कर्नाटक, जम्मू एवं कश्मीर और महाराष्ट्र प्रत्येक राज्यों से एक-एक परियोजनाएं जिनकी कुल लागत 3841.29 करोड़ थी, उन पर सलाहकार समिति द्वारा विचार किया गया और स्वीकार किया गया. परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण नीचे तालिका में दिया गया है.



श्री यू.पी.सिंह, सचिव (ज सं, न वि और गं सं मंत्रालय) 138वीं सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए.

परियोजना का नाम	राज्य	वर्ग	लाभान्वित क्षेत्र / जिला	लाभ	लागत (रुपये करोड़)
शाहपुरकंडी बांध परियोजना का संशोधित लागत अनुमान	पंजाब	संशोधित लागत अनुमान बहुउद्देशीय, राष्ट्रीय परियोजना	-	सीसीए-37173 हे० बिजली-मे०वा० 206	2715.7 @ पी. एल. फरवरी 2018
कर्नाटक एकीकृत और सतत जल संसाधन प्रबंधन निवेश कार्यक्रम, टेंच-11 के अंतर्गत तुंगभद्रा परियोजना में विजयनगर चैनलों का आधुनिकीकरण	कर्नाटक	ईआरएम, प्रमुख सिंचाई, बाहरी सहायता से	बेल्लारी, कोप्पल, रायचूर	सीसीए-11154 हे०	456.63 @ पी. एल. 2017-18
त्राल लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संशोधित लागत अनुमान	जम्मू और कश्मीर	संशोधित अनुमान, सिंचाई	पुलवामा	सीसीए-3415 हे०	170.50 @ पी. एल. 2016
घुंगशी बेराज सिंचाई परियोजना का संशोधित लागत अनुमान	महाराष्ट्र	संशोधित अनुमान, सिंचाई	अकोला तालुका और मूर्तिजापुर तालुका	सीसीए-6343 हे०	498.46 @ पी. एल. 2016-17

### एनएबीएल से मान्यता प्राप्त जलगुणवत्ता प्रयोगशालाओं के स्थान



अक्टूबर, 2018 के दौरान, आगरा में सीडब्ल्यूसी जल गुणवत्ता प्रयोगशाला को मानक आईएसओ / आईईसी 17025: 2005 के अनुसार एनएबीएल मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ. नई दिल्ली, हैदराबाद, वाराणसी, कोयंबटूर और बेंगलुरु के बाद यह के० ज० आ० की 6वीं लैब है जिसे यह मान्यता प्राप्त हुई है.

### आगरा के जलगुणवत्ता प्रयोगशाला को एनएबीएल प्रमाण - पत्र

**National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories**  
(A Constituent Board of Quality Council of India)

**CERTIFICATE OF ACCREDITATION**

**LOWER YAMUNA WATER QUALITY LABORATORY, CENTRAL WATER COMMISSION**

has been assessed and accredited in accordance with the standard

**ISO/IEC 17025:2005**

"General Requirements for the Competence of Testing & Calibration Laboratories"

for its facilities at  
Executive Engineer, Lower Yamuna Division,  
CWC, Sector-12C/404-409, Awas Vikas Colony,  
Sikandra Yojna, Agra, Uttar Pradesh  
in the field of

**TESTING**

Certificate Number TC-7963  
Issue Date 10/10/2018 Valid Until 09/10/2020

This certificate remains valid for the Scope of Accreditation as specified in the annexure subject to continued satisfactory compliance to the above standard & the relevant requirements of NABL.  
(To see the scope of accreditation of this Laboratory, you may also visit NABL website www.nabl-india.org)

Signed for and on behalf of NABL

Anil Relia  
Chief Executive Officer

# विश्व धरोहर (हेरिटेज) सिंचाई संरचना (डब्लू एच आई एस)



सदरमत एनीकट, निर्मल जिला, तेलंगाना के लिए पट्टिका

अध्यक्ष, के० ज० आ० और भू० ज० भा० रा० सं० तेलंगाना सरकार के अधिकारियों को पट्टिका सौंपते हुए

बड़ा टैंक (पेड्डा चेरु), कामारेड्डी जिला, तेलंगाना के लिए पट्टिका

इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई और जल निकास आयोग के 69 वें अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद में 12 से 17 अगस्त के दौरान कनाडा के सास्काटून में आयोजित किया गया था. सतही जल पर भारतीय राष्ट्रीय समिति ने भारत से अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई और जल निकास आयोग विश्व धरोहर सिंचाई संरचनाओं के रजिस्टर में शामिल करने के लिए दो नामांकनों की सिफारिश की. दोनों नामांकन तेलंगाना राज्य से थे. भारतीय नामांकन स्वीकार किए गए और पुरस्कार/पट्टिकाएं सतही जल पर भारतीय राष्ट्रीय समिति के प्रतिनिधियों द्वारा प्राप्त की गईं. इन पट्टिकाओं को अध्यक्ष, के० ज० आ० और सतही जल पर भारतीय राष्ट्रीय समिति द्वारा तेलंगाना सरकार के अधिकारियों को 08.10.18

को के० ज० आ० मुख्यालय में आयोजित एक समारोह में सौंप दिया गया. डब्लूएचआईएस वर्तमान या अतीत में कृषि जल प्रबंधन गतिविधि से संबंधित 100 से अधिक वर्ष पुरानी संरचनाएं हैं. इस मान्यता का उद्देश्य दुनिया भर की सभ्यता में सिंचाई में विकास का पता लगाना और समझना तथा ऐसी संरचनाओं की रक्षा और संरक्षण करना है. यह प्रस्तावित है कि इस तरह के और नामांकन भारत से अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई और जल निकास आयोग को भेजे जाएंगे.

## आई सी ओ एल डी - भारत दौरा और सम्मेलन


श्री एम. रोजर्स, अध्यक्ष और बड़े बांधों पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग (आई सी ओ एल डी) के अन्य प्रतिनिधियों ने 22 अक्टूबर, 2018 को के० ज० आ०, मुख्यालय का दौरा किया तथा के० ज० आ० के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की.

के० ज० आ० के तकनीकी सहयोग से केंद्रीय सिंचाई और बिजली मंडल (सीबीआईपी) व बड़े बांधों पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग (आई सी ओ एल डी) तथा भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी), टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल), नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन (एनएचपीसी), नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन (एनईईपीसीओ), सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड (सं० ज० वि० नि० लि०) और विश्व बैंक के सह प्रयोजन से 24 से 25 अक्टूबर 2018 को नई दिल्ली में "जल सुरक्षा और सतत विकास के लिए भंडारण बांध" पर डैम इंडिया 2018-सम्मेलन का आयोजन किया गया.


आयोजन के दौरान, के० ज० आ०के अधिकारियों ने विभिन्न विषयों पर प्रस्तुतियां दीं, जिसमें भारतीय परिप्रेक्ष्य में बांध सुरक्षा और साधन, बाढ़ प्रबंधन के लिए जलाशय संचालन में बाढ़ पूर्वानुमान का महत्व, समेकित जलाशय संचालन की अवधारणा (ज० सं० अ०) आदि शामिल हैं.



22-10-18 को आईसीओएलडी के प्रतिनिधि के० ज० आ०, मुख्यालय में



अध्यक्ष, के० ज० आ०, डैम इंडिया 2018-सम्मेलन, नई दिल्ली, को संबोधित करते हुए



सदस्य (डी एंड आर) और मुख्य अभियंता (डीएसओ), सीडब्ल्यूसी 25-10-18 को दिल्ली में आईसीओएलडी बोर्ड की बैठक के दौरान मुल्ला परियारा बांध पर एक प्रस्तुति देते हुए

## चीन में भूस्खलन के कारण असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ की चेतावनी

ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और चीन के तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र (जहाँ इसे यारलुंग जंगबो / त्संगपो के नाम से जाना जाता है), भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। भारत के साथ एक समझौता जापान के अनुसार, चीन यारलुंग जंगबो / त्संगपो की मुख्य धारा पर तीन स्थानों (नुगेशा, यानचुन और नक्सिया) पर जल वैज्ञानिक प्रेक्षण सूचना साझा करता है।


### पहली भूस्खलन घटना

अक्टूबर, 2018 के दौरान, चीनी जल संसाधन मंत्रालय ने नक्सिया (भारत में बाढ़ की रिपोर्टिंग के लिए चीन का हाइड्रोलॉजिकल स्टेशन) से लगभग 80 किमी नीचे मिलिन खंड में नदी के मुख्य धारा में 16 अक्टूबर की देर शाम से 17 अक्टूबर के तड़के के दौरान भूस्खलन से रुकावट की सूचना दी कि नदी की निचली पहुंच में जल स्तर पर प्रभाव पड़ेगा। प्रारंभिक रिकॉर्ड में भारतीय क्षेत्र में तूटिंग साइट पर नदी के जल स्तर में लगभग 2 मीटर तक की गिरावट देखी गई। गणितीय मॉडल और डैम ब्रेक मॉडलिंग का उपयोग करके केंद्रीय जल आयोग ने तत्काल निवारक उपाय करने के लिए कैबिनेट सचिवालय और साथ ही अरुणाचल प्रदेश और असम सरकार सहित विभिन्न सरकारी एजेंसियों को पानी के प्रवाह के संभावित प्रभाव की जानकारी दी।


चीन ने भी रुकावट के पास एक अस्थायी साइट खोलकर स्थिति की निगरानी शुरू कर दी और वहां से प्रति घंटा निरीक्षण किया। उन्होंने यह भी बताया कि 19-10-2018 को रुकावट के कारण लगभग 500 एमसीएम पानी संग्रहीत हो गया था। उसी दिन भारतीय समय के अनुसार लगभग 1430 बजे कृत्रिम रुकावट टूट गई और उससे पानी का प्रवाह होने लगा। यह प्रवाह 2200 बजे और 2300 बजे के बीच तूटिंग तक पहुंचा एवं वहां एक घंटे में जल स्तर में 12 मीटर की वृद्धि दर्ज की गयी। 19 की आधी रात को जल का अधिकतम स्तर प्राप्त हुआ और फिर जल स्तर तेजी से गिरने लगा। हालांकि, यह पिछले उच्चतम बाढ़ स्तर को पार नहीं कर पाया। पासीघाट में जल स्तर केवल चेतावनी स्तर तक पहुंचा और असम के डिब्रूगढ़ में जल स्तर चेतावनी स्तर को पार नहीं कर सका।

### दूसरी भूस्खलन घटना


28-10-18 को पुनः पिछले भूस्खलन के करीब नदी के प्रवाह में रुकावट की एक और रिपोर्ट चीनी पक्ष द्वारा रिपोर्ट की गई थी। संग्रहीत पानी की मात्रा लगभग 330 एमसीएम बताई गई थी। गणितीय मॉडल और डैम ब्रेक मॉडलिंग का उपयोग करके केंद्रीय जल आयोग ने यह बताया कि अधिकतम उत्प्रवाह 15000 से 16000 घन मी /से के क्रम का होगा और तदनुसार संबंधित राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों को सलाह जारी की गई थी। भूस्खलन से बना कृत्रिम रुकावट 31 अक्टूबर को टूट गया और तूटिंग साइट पर भारतीय समय के अनुसार शाम 8 बजे 412.95 मीटर का अधिकतम जल स्तर देखा गया और फिर यह तेजी से गिर गया।



चीन में डेटा रिपोर्टिंग स्थान, भूस्खलन का स्थान और ब्रह्मपुत्र के किनारे प्रमुख भारतीय साइट



पहली भूस्खलन की घटना के दौरान भारत में तूटिंग साइट के लिए हाइड्रोग्राफ



दूसरी भूस्खलन की घटना के दौरान भारत में तूटिंग साइट के लिए हाइड्रोग्राफ

Meetings and Visits




सदस्य (डब्लू पी एंड पी), के.ज.आ की उत्तर कोएल परियोजनाके पूरा होने के लिए बने टीईसी की दिनांक 04.10.18 को आयोजित की गई 13वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए



सदस्य (डी एंड आर), के.ज.आ ने 10.10.18 को आयोजित लखवार बहुउद्देशीय परियोजना के तकनीकी मुद्दों के बारे में एक बैठक की अध्यक्षता की



31.10.18 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर शपथ लेते के.ज.आ के अधिकारी और कर्मचारी



उ गं बे सं, के ज आ, लखनऊ में गूगल टीम ने 05.10.18 को बाढ़ पूर्वानुमान और आप्लावन मानचित्रों पर चर्चा के लिए बैठक की




इंडो-ईयू संयुक्त कार्य समूह के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रवाह के आकलन के लिए राम गंगा बेसिन में किया जा रहा क्रॉस-सेक्शन सर्वेक्षण कार्य



सचिव, एमओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर, अध्यक्ष, के.ज.आ और मंत्रालय के अधिकारी 30.10.2018 को आयोजित संगोष्ठी " भ्रष्टाचार उन्मूलन: एक नए भारत का निर्माण" के दौरान



सगुना चावल तकनीक को देखने के लिए सगुनाबाग में नवनियुक्त के. ज. अभि. से. के अधिकारियों का दौरा



के.ज.आ, नई दिल्ली में जल संसाधन विभाग, (महाराष्ट्र) के अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एन एच पी) के तहत ई स्विस प्रशिक्षण




सदस्य, (आरएम), के.ज.आ, मुख्य अभियंता (कृष्णा गोदावरी बेसिन संगठन), निदेशक (आरएमसीडी) का दिनांक 24.10.18 को टेलीमेट्री साइट, दवालेश्वरम दौरा

## जलाशय भंडारण निगरानी

केन्द्रीय जल आयोग साप्ताहिक आधार पर देश भर में 91 जलाशयों की सक्रिय भंडारण स्थितियों की निगरानी करता है और प्रत्येक गुरुवार को बुलेटिन जारी करता है. इन 91 भंडारण जलाशयों की कुल सक्रिय भंडारण क्षमता 161.993 बी सी एम है जो कि देश भर में बनाई गई कुल सक्रिय भंडारण क्षमता 257.812 बी सी एम का 63 प्रतिशत है.

25 अक्टूबर 2018 को जारी बुलेटिन के अनुसार इन जलाशयों की भंडारण क्षमता 112.67 बी सी एम है जो कि इन जलाशयों के कुल सक्रिय भंडारण क्षमता का 70 प्रतिशत है. यह क्षमता पिछले वर्ष इसी अवधि की भंडारण क्षमता का 101 प्रतिशत व पिछले 10 वर्षों के औसत भंडारण का 100 प्रतिशत है.



## अक्टूबर - 2018 में देश में बाढ़ की स्थिति



## केन्द्रीय जल आयोग का संक्षिप्त इतिहास

केन्द्रीय जल आयोग भारत सरकार के जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय का एक सम्बद्ध कार्यालय है

- 1945** डॉ. बी. आर. अंबेडकर (सदस्य सिंचाई) की सलाह पर तत्कालीन सरकार द्वारा गठित केन्द्रीय जलमार्ग, सिंचाई और नेविगेशन आयोग (CWINC) के रूप में
- 1947** CWINC को एक स्थायी संगठन घोषित किया गया था
- 1948** केन्द्रीय जल-ऊर्जा, सिंचाई और नेविगेशन आयोग (CWPNIC) के रूप में पुनर्गठित
- 1951** केन्द्रीय जल आयोग और केन्द्रीय जल-विद्युत, सिंचाई और नेविगेशन आयोग को केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग (CWPC) बनाने के लिए मिला दिया गया था
- 1952** CWPC सिंचाई और बिजली मंत्रालय का सम्बद्ध कार्यालय बन गया
- 1974** CWPC को दो संगठनों- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) और केन्द्रीय जल आयोग (CWC) में विभाजित किया गया था।
- 1978** CWPRS को CWC से अलग कर दिया गया था
- 1981** CSMRS को CWC से अलग कर दिया गया था
- 1994** प्रमुख नदी घाटियों में क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना



प्रकाशक :

जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय  
केन्द्रीय जल आयोग  
द्वितीय तल (दक्षिण) सेवा भवन  
रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-110 066  
दूरभाष : 011 2958 3270/71  
ई मेल : media-cwc@gov.in



**केन्द्रीय जल आयोग**  
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण  
मंत्रालय, भारत सरकार का एक सम्बद्ध  
कार्यालय



CWC.GOV.IN



CWCOfficial.Gol



CWCOfficial\_Gol



CWCOfficial.Gol